

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम)

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 3401  
जिसका उत्तर मंगलवार 23 जुलाई, 2019  
1 श्रावण, 1941 (शक) को दिया जाना है

लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

3401. श्री संजय सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या मुनाफे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश किया जा रहा है;
- (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या नवीकरण और विस्तार किए जाने के बाद, सेलम इस्पात संयंत्र के विनिवेश पर विचार किया जा रहा है; और
- (घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर  
वित्त राज्य मंत्री  
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क), (ख), (ग) और (घ) : जी, हां। सरकार कुछ चयनित सीपीएसईस, जो 'न्यून प्राथमिकता' क्षेत्रों में हैं, के मामले में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ सामरिक विनिवेश की नीति का अनुसरण कर रही है। इस प्रकार के चयन के लिए सीपीएसईस की लाभप्रदता प्रासंगिक मापदंड नहीं है।

इस नीति के आधार पर, सरकार ने कुछ सीपीएसईस, उनकी सहायक कंपनियों और इकाईयों के सामरिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है जिसमें सेलम इस्पात संयंत्र (एसएसपी) शामिल है, जो कि सेल की एक इकाई है।

सीपीएसईस का सामरिक विनिवेश इस मूल आर्थिक सिद्धांत द्वारा मार्गदर्शित है कि सरकार को उन क्षेत्रों में स्वयं को नहीं फँसाए रखना चाहिए जिनमें प्रतिस्पर्धात्मक बाजार बहुत पहले से आए हुए हैं और ऐसी कंपनियों की आर्थिक संभावना विभिन्न घटकों जैसे कि पूंजी लगाने, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा दक्ष प्रबंधन परिपाटियों आदि के कारण सामरिक निवेशकों के हाथों में संभवतः बेहतर होगी।

इसके अलावा, मूल्य निर्मुक्त करने, जन-स्वामित्व को बढ़ावा देने और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए कुछ अन्य सीपीएसईस में, जिनमें लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसईस शामिल हैं, सेबी द्वारा अनुमोदित विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के बिना अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री की नीति का अनुसरण किया जा रहा है।

\*\*\*\*\*